

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,  
विशेष प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक :

फरवरी, 2024

विषय :- राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद हेतु सृजित पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2247/परिषद-1673/2023-24 दिनांक 08 फरवरी, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद, उत्तराखण्ड हेतु शासनादेश संख्या-2624/मा0स0वि0/2001, दिनांक 02.08.2001 के द्वारा सृजित वाहन चालक एवं अनुसेवक के 01-01 अर्थात् मात्र 02 पदों की दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 तक की निरन्तरता की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. वाहन चालक एवं अनुसेवक के उक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों के अधिवर्षता आयु पूर्ण करने अथवा इन पदों के रिक्त होने की दशा में इनका कार्य रिक्ति की तिथि से यथा आवश्यकता आउट सोर्सिंग के माध्यम से ही सम्पादित कराया जायेगा।
2. उक्त पदों की निरन्तरता के अग्रिम विस्तारीकरण से सम्बन्धित कार्यवाही विभाग द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-युवा कल्याण परिषद को अनुदान-05-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान से किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित कुमार सिन्हा)  
विशेष प्रमुख सचिव

पृष्ठाकन संख्या- /VI-4/2024-37(यु0क0)01 टी0सी0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)  
उप सचिव